न्यायालय : विशिष्ट न्यायाधीश (स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ प्रकरण)
संख्या 1, जोधपुर महानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – **मधुसूदन मिश्रा ''जिला न्यायाधीश संवर्ग''**

सेशन प्रकरण संख्या : **01/2019,** (एन.सी.वी. नम्बर **01/2019**)
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : **VIII(IO)09/NCB/JZU/2018**
एन.सी.बी. क्षेत्रीय ईकाई जोधपुर (राज.)

भारत संघ जरिये स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। **....अभियोजन**

बनाम

1. **राजेश कुमार** पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद, उम्र 34 वर्ष, निवासी–ग्राम पोस्ट मुसेला, पुलिस थाना व तहसील मोहनपुर, जिला गया (बिहार)।
2. **योगेन्द्र कुमार** पुत्र श्री नरेश प्रसाद, उम्र 30 वर्ष, निवासी–ग्राम बुनियाद बीघा (नीमा टोला) पोस्ट सरवा बाजार, पुलिस थाना बाराचट्टी, तहसील डोबी, जिला गया (बिहार)।
3. **अविनाश कुमार** पुत्र श्री राजदेव प्रसाद, उम्र 28 वर्ष, निवासी–ग्राम बुनियाद बीघा (नीमा टोला) पोस्ट सरवा बाजार, पुलिस थाना बाराचट्टी, तहसील डोबी, जिला गया (बिहार)। **....अभियुक्तगण**

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 8/18, 29</u>
<u>स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985</u>

उपस्थित :–
1– **श्री किशन सिंह नाहर,** विशिष्ट लोक अभियोजक, एन.सी.बी. की ओर से।
2– **श्री अशोकचन्द्र,** विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण राजेश व योगेन्द्र की ओर से।
3– **श्री नीरज भाटी, श्री अशोक भवाद,** विद्वान अधिवक्तागण, अभियुक्त अविनाश कुमार की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक : 21.01.2026**

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 18.06.2018 को श्री रामेश्वर दास, आसूचना अधिकारी, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, क्षेत्रीय ईकाई जोधपुर को एक गुप्त सूचना मिली कि ''दिनांक 18.06.2018 को समय लगभग 14.00 से 16.30 बजे के बीच तीन व्यक्ति जिनके नाम क्रमशः राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार, अविनाश कुमार है, जो जिला गया, बिहार के हैं, लगभग 5 से 8 किलोग्राम अफीम के साथ चंद्रा विलास लॉज, रेलवे स्टेशन के सामने आयेंगे।'' रामेश्वर दास द्वारा उक्त सूचना को लेखबद्ध

कर विशाल पंवार, अधीक्षक, एन.सी.बी. जोधपुर को प्रेषित की गई। ताबाद दिनांक 18.06.2018 को समय लगभग 13.30 बजे रामेश्वर दास एन.सी.बी. टीम के साथ चंद्र विलास लॉज रेलवे स्टेशन के सामने पहुंचे और वहां पर निगरानी कार्य शुरू किया। समय लगभग 15.30 बजे तीन व्यक्तियों ने एक साथ चन्द्र विलास लॉज में प्रवेश किया, जिसमें एक व्यक्ति अपाहिज था। तीनों व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से काले बैग को पकड़ रखा था। उसी समय रामेश्वर दास, आसूचना अधिकारी ने तीनो व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपाहिज व्यक्ति ने अपना नाम राजेश कुमार, दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम योगेन्द्र कुमार व तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम अविनाश कुमार होना बताया, जो कि गुप्त सूचना के अनुसार सही थे। तीनों व्यक्तियों को गुप्त सूचना के बारे में बताया तो वे घबरा गये, फिर दुबारा पूछने पर तीनों ने स्वीकार किया कि वे संयुक्त रूप से अवैध अफीम का परिवहन कर रहे हैं और हमारे पास इस काले बैग में अवैध अफीम है। अवैध अफीम बरामदगी कार्यवाही हेतु चन्द्र विलास लॉज के काउन्टर पर बैठे व्यक्ति अशोक सिंह व बंशीलाल से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वतन्त्र मौतबीर मामूर किया गया।

तत्पश्चात् रामेश्वर दास ने मौतबिरान् की उपस्थिति में तीनों व्यक्तियों को काला बैग खोलकर दिखाने को कहा, तो राजेश कुमार ने बैग में से एक पैकेट निकालकर व खोलकर दिखाया, जिसमें काला भूरा पदार्थ भरा हुआ था, जो ड्रग डिटेक्शन किट से जांचने पर अफीम होना पाया गया। इस पैकेट को वापस बन्द कर मार्क पी1 अंकित किया गया। बैग में इस प्रकार के कुल 6 पैकेट पाये गये। चन्द्र विलास लॉज में भीड़ होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु दोनों मौतबिरान् व तीनों संदिग्ध व्यक्तियों तथा अफीम से भरे बैग को लेकर एन.सी.बी. कार्यालय पहुंचे। उक्त तीनों संदिग्ध व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत तलाशी बाबत् धारा 50 एन.डी. पी.एस. एक्ट का नोटिस देकर उन्हें उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराया गया। तत्पश्चात् काले बैग में से अफीम के पैकेट्स को निकालकर उन पर मार्क पी1 लगायत पी6 अंकित कर वजन किया गया, तो सभी पैकेट्स का कुल वजन 5.750 किलोग्राम होना पाया गया। प्रत्येक पैकेट में से 25–25 ग्राम के दो सैम्पल प्लास्टिक की डिब्बियों में निकालकर उन पर मार्क पी1एस1, पी1एस2 लगायत पी6एस1, पी6एस2 अंकित किया गया। इन पैकेट्स को अलग–अलग लिफाफों में डालकर सीलचपड़ी किया गया। उक्त काले बैग को अलग से मार्किन कपड़े में लपेटकर मार्क पी7 अंकित किया गया। उक्त तीनों व्यक्तियो को बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया....इत्यादि। उक्त कार्यवाही के आधार पर एन.सी.बी., जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या VIII(IO)09/NCB/JZU/2018 दर्ज किया जाकर बाद जांच/अनुसंधान अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार के विरूद्ध परिवाद–पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

2– बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार को धारा 8/18 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम,

1985 (जिसे एतस्मिन पश्चात् **अधिनियम** शब्द से संबोधित किया जायेगा) का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन–समझकर अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3– अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहान् को परीक्षित कराया गया है :–

क्र. सं.	पी.डब्ल्यू.	गवाह का नाम	किससे संबंधित है
1	पी.डब्ल्यू.–1	बंशीलाल पुत्र श्री रोड़मल	स्वतन्त्र मौतबीर
2	पी.डब्ल्यू.–2	अशोक सिंह	स्वतन्त्र मौतबीर
3	पी.डब्ल्यू.–3	रामेश्वर दास	सीजर अधिकारी
4	पी.डब्ल्यू.–4	हेमराज	नमूना एफ.एस.एल. में जमा कराने वाला साक्षी
5	पी.डब्ल्यू.–5	विशाल पंवार	मालखाना इन्चार्ज
6	पी.डब्ल्यू.–6	बंशीलाल जाट पुत्र स्व. श्री रामपाल जाट	बरामदगी, चश्मदीद
7	पी.डब्ल्यू.–7	अबिनाश	कॉल डिटेल जारी करने वाला
8	पी.डब्ल्यू.–8	भूपेन्द्र गोस्वामी	कॉल डिटेल व कैफ आई.डी. संबंधी
9	पी.डब्ल्यू.–9	प्रीतम सिंह	अनुसंधान अधिकारी
10	पी.डब्ल्यू.–10	सुखबीर सिंह	इन्वेन्ट्री के समय का मालखाना इन्चार्ज
11	पी.डब्ल्यू.–11	ऋचा चायल	इन्वेन्ट्री करने वाली अधिकारी
12	पी.डब्ल्यू.–12	राजेश त्रिपाठी	कॉल डिटेल जारी कर्ता

4– अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित कराया गया है :–

क्र.सं.	प्रदर्श	दस्तावेज का नाम
1	प्रदर्श पी–1 व 34	मौतबीर बनने हेतु बंशीलाल व अशोक सिंह से चाही गई अनुमति
2	प्रदर्श पी–2 व 35	फर्द सहमति मौतबीर बंशीलाल व अशोक सिंह
3	प्रदर्श पी–3	फर्द मौका नक्शा बरामदगी स्थल
4	प्रदर्श पी–4	फर्द मौका नक्शा चन्द्र विलास लॉज कमरा नं. 7
5	प्रदर्श पी–5 से 7	अधिनियम की धारा 50 के तहत अभियुक्तगण को दिया गया नोटिस
6	प्रदर्श पी–8 से 10	फर्द सहमति बाबत् तलाशी अभियुक्तगण
7	प्रदर्श पी–11 से 13	फर्द जामातलाशी अभियुक्तगण
8	प्रदर्श पी–14	फर्द वजन तालिका अफीम से भरे पैकेट्स
9	प्रदर्श पी–15	फर्द नमूना मोहर

10	प्रदर्श पी–16	टेस्ट मीमो/एफ.एस.एल. रिपोर्ट
11	प्रदर्श पी–17	टेस्ट मीमो
12	प्रदर्श पी–18	फर्द पंचनामा दिनांक 18.06.2018
13	प्रदर्श पी–19, 22, 25	अधिनियम की धारा 67 के अभियुक्तगण को जारी सम्मन
14	प्रदर्श पी–20, 23, 26	अभियुक्तगण द्वारा अधिनियम की धारा 67 के अन्तर्गत दिये गये बयान
15	प्रदर्श पी–21, 24, 27	फर्द गिरफ्तारी मीमो अभियुक्तगण
16	प्रदर्श पी–28 से 30	अभियुक्तगण द्वारा अपने पारिवारिक सदस्य को अपनी गिरफ्तारी के संबंध में दी गई सूचना
17	प्रदर्श पी–31	स्वेच्छिक बयान बंशीलाल पुत्र रोड़मल
18	प्रदर्श पी–32	बंशीलाल के आधार कार्ड की फोटोप्रति
19	प्रदर्श पी–33	अभियोजन चलाने/साक्ष्य देने हेतु बंध पत्र गवाह बंशीलाल पुत्र रोडमल
20	प्रदर्श पी–36 से 41	इन्वेन्ट्री फोटोग्राफ्स
21	प्रदर्श पी–42	स्वेच्छिक बयान अशोक सिंह
22	प्रदर्श पी–43	अधिनियम की धारा 42 के तहत उच्चाधिकारी को प्रेषित की गई गुप्त सूचना
23	प्रदर्श पी–44	गुप्त सूचना के आधार पर उचित कार्यवाही हेतु टीम गठन बाबत् जारी कार्यालय आदेश
24	प्रदर्श पी–45 से 47	अभियुक्तगण का मेडिकल कराये जाने हेतु लिखा गया पत्र व मेडिकल रिपोर्ट
25	प्रदर्श पी–48	अभियुक्तगण को जे.सी. में भेजने हेतु लिखा गया पत्र
26	प्रदर्श पी–49	अभियुक्तगण की कारागृह में प्राप्ति बाबत् जारी प्राप्ति रसीद
27	प्रदर्श पी–50 व 51	जब्ती अधिकारी द्वारा अधीक्षक, एन.सी.बी. को अफीम के पैकेट्स व सैम्पल्स की जांच कराने हेतु जारी पत्र
28	प्रदर्श पी–52	अभियुक्तगण की व्यक्तिगत तलाशी में मिले सामान के तीन पैकेट्स बाबत् जब्ती अधिकारी द्वारा अधीक्षक, एन.सी.बी. को दी गई सूचना
29	प्रदर्श पी–53	अधिनियम की धारा 57 के तहत अनुपालना रिपोर्ट
30	प्रदर्श पी–54	प्रीतम सिंह, आसूचना अधिकारी को अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करने बाबत् कार्यालय आदेश
31	प्रदर्श पी–55	अधीक्षक, एन.सी.बी. द्वारा जब्तशुदा नमूनों की जांच बाबत् लिखा गया पत्र
32	प्रदर्श पी–56ए	नमूना पंजिका, एन.सी.बी. जोधपुर
33	प्रदर्श पी–57	नमूना प्राप्ति रसीद
34	प्रदर्श पी–58	धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जारी प्रमाण–पत्र
35	प्रदर्श पी–58ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति

36	प्रदर्श पी–59	मो.नं. 8757677044 की कॉल डिटेल रिपोर्ट
37	प्रदर्श पी–59ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
38	प्रदर्श पी–60	मो.नं. 8757677044 के संबंध में अभियुक्त राजेश कुमार का एनरोलमेन्ट फॉर्म
39	प्रदर्श पी–61	अभियुक्त राजेश कुमार का पहचान–पत्र
40	प्रदर्श पी–62	मो.नं. 9929943193 की कॉल डिटेल रिपोर्ट
41	प्रदर्श पी–63	नागाराम नामक व्यक्ति का एयरटेल एनरोलमेन्ट फॉर्म
42	प्रदर्श पी–64	नागाराम नामक व्यक्ति का पहचान–पत्र
43	प्रदर्श पी–65	मो.नं. 9199635904 की कॉल डिटेल रिपोर्ट
44	प्रदर्श पी–66	रामानुज दुबे नामक व्यक्ति का एयरटेल एनरोलमेन्ट फॉर्म
45	प्रदर्श पी–67	बी.एस.एन.एल. द्वारा मो.नं. 9431098692 के संबंध में अनुसंधान अधिकारी को लिखा गया पत्र
46	प्रदर्श पी–68	मो.नं. 9431098692 की कॉल डिटेल रिपोर्ट
47	प्रदर्श पी–69	मो.नं. 9431098692 के संबंध जारी धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र
48	प्रदर्श पी–70	मो.नं. 9431098692 की कैफ आई.डी. फॉर्म
49	प्रदर्श पी–71	अनुसंधान अधिकारी द्वारा मो.नं. 7783897040 की कॉल डिटेल रिपोर्ट के संबंध में लिखा गया पत्र
50	प्रदर्श पी–72	अनुसंधान अधिकारी द्वारा मो.नं. 9431098692 की कॉल डिटेल रिपोर्ट के संबंध में लिखा गया पत्र
51	प्रदर्श पी–73	अनुसंधान अधिकारी द्वारा मो.नं. 8757677044, 9929943193, 7050896658, 9199635904 की कॉल डिटेल रिपोर्ट के संबंध में लिखा गया पत्र
52	प्रदर्श पी–74	अनुसंधान अधिकारी द्वारा मो.नं. 8709956514 की कॉल डिटेल रिपोर्ट के संबंध में लिखा गया पत्र
53	प्रदर्श पी–75	वाहन संख्या आर.जे.–19–सी.जी.–1601 के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति उपलब्ध कराने बाबत् लिखा गया पत्र
54	प्रदर्श पी–76	जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर द्वारा वाहन संख्या आर.जे.–19–सी.जी.–1601 के संबंध में दी गई सूचना
55	प्रदर्श पी–77 व 78	अधिनियम की धारा 67 के तहत बंशीलाल पुत्र रोडमल व अशोक सिंह को जारी सम्मन
56	प्रदर्श पी–79	मो.नं. 8709956514 के संबंध में जारी धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र एवं कॉल डिटेल रिपोर्ट
57	प्रदर्श पी–80	मो.नं. 7783897040 के संबंध में जारी धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र एवं कॉल डिटेल रिपोर्ट
58	प्रदर्श पी–82 से 91	इन्वेन्ट्री कार्यवाही के दस्तावेज एवं फोटोग्राफ्स

5— वस्तु साक्ष्य के रूप में अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित वस्तुएं प्रदर्शित करायी गई है :—

क्र.सं.	आर्टिकल	आर्टिकल का नाम
1	आर्टिकल—1 से 6	कन्ट्रोल सैम्पल
2	आर्टिकल—7	रेमनेन्ट सैम्पल
3	आर्टिकल—7/1	सफेद कपड़े की थैली में रखा पैकेट
4	आर्टिकल—7/2	सफेद रंग का डिब्बा
5	आर्टिकल—7/3 से 7/8	नमूना सैम्पल पैकेट मार्क पी1एस1 से पी6एस1
6	आर्टिकल—8	काला बैग
7	आर्टिकल—9	अभियुक्त राजेश की व्यक्तिगत तलाशी में मिला सामान
8	आर्टिकल—10	अभियुक्त अविनाश कुमार की व्यक्तिगत तलाशी में मिला सामान
9	आर्टिकल—11	अभियुक्त योगेन्द्र कुमार की व्यक्तिगत तलाशी में मिला सामान
10	आर्टिकल—12 से 17	प्रतिनिधि सैम्पल

6— अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये स्वयं का निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना, इस प्रकरण से उनका कोई लेना—देना नहीं होना बताया।

7— बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य सफाई में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

8— बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

9— प्रकरण के सुविधापूर्वक विनिश्चय हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु बनाये जाते हैं :—

1. कि दिनांक 18.06.2018 को समय लगभग 3.30 पी.एम. पर स्थान रेलवे स्टेशन जोधपुर के पास स्थित चन्द्र विलास लॉज में अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार के संयुक्त अधिपत्य व अनन्य कब्जे के काले बैग में से छः पैकेट्स में कुल 5.750 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई, जो अफीम अभियुक्तगण द्वारा अनुज अग्रवाल नामक व्यक्ति से प्राप्त की गई और आगे महेन्द्र नामक व्यक्ति को सप्लाई की जानी थी, उक्त अवैध अफीम को अपने कब्जे में रखने

का अभियुक्तगण के पास कोई वैध अनुज्ञा–पत्र/परमिट नहीं था?

2. दण्ड?

10– विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने बहस करते हुये कहा कि अभियोजन पक्ष के सभी साक्षियों ने अभियोजन कहानी का पूर्ण समर्थन किया है। अभियुक्तगण के अनन्य कब्जे से काले बैग मे से कुल 5.750 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है, जिसको रखने का अभियुक्तगण के पास कोई वैध अनुज्ञा–पत्र नहीं था। उक्त अवैध अफीम अभियुक्तगण विक्रय करने के लिये लाये थे, विक्रय नहीं होने पर वे वापस लॉज में अपने कमरे पर जा रहे थे, उससे पहले उनके कब्जे से उक्त अवैध अफीम बरामद हुई है। बरामदशुदा अफीम में से मौके पर ही नमूना व कन्ट्रोल सैम्पल पृथक कर सीलमोहर किये गये थे। उक्त नमूना सैम्पल्स सीलशुदा अवस्था में जांच हेतु रासायनिक प्रयोगशाला पहुंचना, जिसमें बाद रासायनिक जांच अफीम पायी जाना पूर्णतः प्रमाणित है। प्रकरण में अधिनियम की धारा 42 व 57 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना पूर्ण रूप से की गई है। चूंकि अभियुक्तगण के शरीर की तलाशी में उक्त मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है, वरन् अभियुक्तगण के कब्जे के काले बैग में से मादक पदार्थ बरामद हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त भी पी.डब्ल्यू.–3 रामेश्वरदास के द्वारा अभियुक्तगण की तलाशी से पूर्व उन्हें अधिनियम की धारा 50 का नोटिस दिया गया था, जो अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से पूर्णतः प्रमाणित है। यद्यपि प्रकरण में स्वतन्त्र मौतबीर पक्षद्रोही घोषित हुये हैं, परन्तु स्वतन्त्र मौतबीर पी.डब्ल्यू.–1 बंशीलाल व पी.डब्ल्यू.–2 अशोक सिंह ने अपने सशपथ कथनों में फर्दो पर उनके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अभियुक्तगण के प्रभाव में आकर जानबूझकर उक्त साक्षियों ने अभियुक्तगण से बरामदगी होने से इंकार किया है। स्वतन्त्र साक्षियो के पक्षद्रोही होने मात्र से सम्पूर्ण अभियोजन कहानी अविश्वसनीय नहीं हो जाती है। शेष अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्तगण के कब्जे से उक्त अवैध अफीम बरामद होना पूर्णतः प्रमाणित किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 8/18 के अपराध का दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

11– अभियुक्तगण राजेश कुमार व योगेन्द्र कुमार के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक के तर्कों का खण्डन करते हुये कहा कि अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्तगण के कब्जे से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। बरामदशुदा अफीम व तथाकथित काले बैग से अभियुक्तगण का कोई संबंध नहीं है। किसी भी स्वतन्त्र साक्षी ने उक्त बैग अभियुक्तगण के पास होना नहीं बताया है। वरन् स्वतन्त्र साक्षी पी. डब्ल्यू.–1 बंशीलाल व पी.डब्ल्यू.–2 अशोक सिंह पक्षद्रोही हुये हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का तनिक भी समर्थन नहीं किया है। अभियुक्तगण का होटल में रूकना ही अभियोजन पक्ष प्रमाणित नहीं कर पाया है। अभियुक्तगण द्वारा अनुज अग्रवाल से

अवैध अफीम लेकर आना बताया गया है, परन्तु अनुज अग्रवाल से कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। फर्दों पर समय अंकित नहीं है, इसलिये अभियोजन कहानी में सन्देह उत्पन्न हो गया है। प्रकरण में अधिनियम की धारा 42, 50 व 57 के आज्ञापक प्रावधानो की पालना नहीं की गई है, जिससे सम्पूर्ण अभियोजन दूषित हो गया है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित नहीं कर सका है। अतः अभियुक्तगण को सभी आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायालय का ध्यान पी.डब्ल्यू.–1 लगायत 12 के सशपथ कथनों तथा दस्तावेज प्रदर्श पी–1 लगायत 91 की ओर आकर्षित कराया।

12– अभियुक्त अविनाश कुमार के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक के तर्कों का खण्डन करते हुये कहा कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त ने न तो मादक पदार्थ अफीम प्राप्त की है और न ही अभियुक्त के कब्जे से मादक पदार्थ अफीम बरामद हुई है। बरामदशुदा अफीम, काले बैग तथा सह–अभियुक्तगण से अभियुक्त का कोई संबंध नहीं है। प्रकरण में आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष नमूने की सील सुरक्षित रखना प्रमाणित नहीं कर सका है। स्वतन्त्र साक्षी पक्षद्रोही हुये हैं। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित नहीं कर सका है। अतः अभियुक्त को सभी आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया जावे।

13– हमने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया व इस परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

14– अभियोजन पक्ष के द्वारा पी.डब्ल्यू.–1 लगायत 12 साक्षियों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है, जिनमें से पी.डब्ल्यू.–1 व 2 के अतिरिक्त सभी साक्षियों ने अभियोजन कहानी का पूर्ण समर्थन किया है। पी.डब्ल्यू.–3 रामेश्वर दास, पी.डब्ल्यू. –6 बंशीलाल पुत्र स्व. श्री रामपाल जाट अवैध अफीम की बरामदगी के चश्मदीद साक्षी हैं, जिन्होंने अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध अफीम बरामद होना प्रमाणित किया है।

15– पी.डब्ल्यू.–3 रामेश्वर दास अफीम की बरामदगी करने वाला अधिकारी (सीजर अधिकारी) है। इस साक्षी ने अपने सशपथ कथनों में स्पष्ट रूप से दिनांक 18.06.2018 को उसका एन.सी.बी. विभाग में आसूचना अधिकारी के पद पर पदस्थापित होना, उस दिन उसे एक गोपनीय सूचना प्राप्त होना कि ''राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार निवासी जिला गया, बिहार अपने पास 5–8 किलो अफीम लेकर समय 2.00–4.00 बजे के मध्य चन्द्र विलास रेलवे स्टेशन के सामने प्रवेश करेंगे और अज्ञात व्यक्ति को अफीम देंगे'' उक्त सूचना उसके द्वारा एन.सी.बी.1 में दर्ज कर अधीक्षक विशाल पंवार को प्रेषित करना, विशाल पंवार के द्वारा कार्यालय आदेश जारी कर उसे जब्ती अधिकारी नियुक्त करना तथा उसकी सहायता के लिये बंशीलाल जाट आसूचना अधिकारी, राजकुमार यादव, मुकेश कुमार सैनी, गोपालराम मीणा सिपाही व चालक

जगमेन्द्र, सुरेन्द्र को नियुक्त करना, तत्पश्चात् उसका मय टीम सदस्य मय ड्रग्स टेस्ट किट सरकारी वाहन में चन्द्र विलास रेलवे स्टेशन, जोधपुर के सामने पहुंच निगरानी शुरू करना, उसी दिन समय लगभग 15.30 बजे तीन व्यक्ति चन्द्र विलास लॉज में प्रवेश करना, उसी दौरान इन तीनों व्यक्तियों का घेरा कर इनसे परिचय पूछने पर एक लंगड़े व्यक्ति द्वारा अपना नाम राजेश कुमार, बैग को ऊपर से पकड़े हुये दो व्यक्तियो ने अपना नाम योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार बताना, जिस पर इन व्यक्तियों को गोपनीय सूचना से अवगत कराना, गोपनीय सूचना सही पाये जाने पर चन्द्र विलास लॉज के रिसेप्शन पर बैठे दो व्यक्तियों का अपना परिचय देते हुये उनसे स्वतन्त्र मौतबीर बनने की सहमति प्राप्त कर उन्हे स्वतन्त्र मौतबीर बनाना, तत्पश्चात् गवाहान् की उपस्थिति में तीनों व्यक्तियों द्वारा अफीम का परिवहन किया जाना स्वीकार करना, तीनों व्यक्तियो के हाथ में पकड़े बैग को राजेश कुमार द्वारा खोलकर उसमें से एक पैकेट दिखाना जिसमें काला मटमेला पदार्थ भरा होना, ऐसे कुल छः पैकेट होना कहा है।

इस साक्षी ने अपने सशपथ कथनों में राजेश कुमार द्वारा यह अफीम अनुज अग्रवाल द्वारा दी जाना और महेन्द्र नाम के व्यक्ति को देना, महेन्द्र के कार नम्बर आर.जे.–16–सी.जी.–1601 होना बताना, इसके बाद फर्द नक्शामौका बनाना, राजेश कुमार द्वारा अफीम बेचने गये, नहीं बिकने के कारण वापस आकर चन्द्र विलास लॉज के रूम नम्बर 7 में ठहरना के बारे में बताना, रूम की तलाशी लेकर नक्शामौका बनाना, मौके पर भीड़ इकट्ठी होने लगने से आगे की कार्यवाही हेतु बरामदशुदा मादक पदार्थ के पैकेटों व उक्त तीनों व्यक्तियों सहित समय करीब 16.45 पर एन.सी. बी. कार्यालय पहुंचना, जहां उक्त तीनों व्यक्तियों को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस देकर तलाशी बाबत् उनके विधिक अधिकार से अवगत कराकर तलाशी बाबत् सहमति प्राप्त करना, ताबाद राजेश कुमार की व्यक्तिगत तलाशी में धारा 50 एन.डी. पी.एस. एक्ट के नोटिस की प्रति, उसका पहचान–पत्र, उसके विकलांग होने का प्रमाण–पत्र, नकद 800 रूपये, नोकिया व सेमसंग कम्पनी का एक–एक मोबाईल, हाथ में पहनी सिल्वर कलर की अंगुठियां, दो रूद्राक्ष की माला मिलना, तत्पश्चात् योगेन्द्र कुमार की व्यक्तिगत तलाशी में धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के नोटिस की प्रति, आधार कार्ड, 570 रूपये नकद, आगरा से जोधपुर का बस टिकट, पटना से आगरा का रेल टिकट, टेक्नो कम्पनी का मोबाईल मिलना, इसी प्रकार अविनाश कुमार की व्यक्तिगत तलाशी में धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के नोटिस की प्रति, पैन कार्ड, ए.टी.एम. कार्ड, 560 रूपये नकद, वीवो कम्पनी का मोबाईल, हाथ में पहनी रोमेक्स कम्पनी की सिल्वर घड़ी मिलना कहा है।

इस साक्षी ने अपने सशपथ कथनों में उक्त तीनों व्यक्तियों के पास मिले बैग से छः पैकेट मिलना, उसमें भरे पदार्थ को ड्रग्स टेस्ट किट से चैक करने पर अफीम होना पाया जाना, इन पैकेटों पर मार्क पी1 से पी6 अंकित करना, सभी छः पैकेट्स का तौल करने पर कुल वजन 5.750 किलोग्राम होना, प्रत्येक पैकेट में से 25–25 ग्राम के

नमूना व कन्ट्रोल सैम्पल पृथक कर डिब्बियों में डालकर डिब्बियों को पॉलिथीन थैली में डालकर सीलमोहर करना, काले बैग को अलग कपड़े की थैली मे डालकर मार्क पी7 अंकित करना, पृथक किये गये नमूना सैम्पल्स पर मार्क पी1एस1 से पी6एस1 तथा कन्ट्रोल सैम्पल्स पर मार्क पी1एस2 से पी6एस2 अंकित करना, फर्द वजन तालिका तैयार करना, सम्पूर्ण कार्यवाही का पंचनामा तैयार किया जाकर तीनों संदिग्ध व्यक्तियों को धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत नोटिस देकर उनके स्वेच्छिक बयान लेखबद्ध करना, इनके बयानों के आधार पर इन तीनों व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 8/18 एन.डी. पी.एस. एक्ट का अपराध प्रथम दृष्ट्या पाये जाने पर इन्हें गिरफ्तारी सूचना देने के पश्चात् गिरफ्तार करना, दिनांक 19.06.2018 को जब्तशुदा मादक पदार्थ, एक बैग, कुल 12 सैम्पल, तीनों संदिग्ध व्यक्तियों की जामातलाशी में मिले सामान को मालखाना प्रभारी को सुपुर्द करना कहा है।

इस साक्षी ने अपने सशपथ कथनों में उसके द्वारा एन.सी.बी.1 में रिपोर्ट दर्ज कर भेजी गई सूचना प्रदर्श पी–42, कार्यालय आदेश प्रदर्श पी–44, फर्द बाबत् मौतबिरान् से चाही गई सहमति प्रदर्श पी–1 व 34, फर्द सहमति मौतबिरान बंशीलाल व अशोक सिंह क्रमशः प्रदर्श पी–2 व 35, फर्द नक्शामौका प्रदर्श पी–3, रूम की तलाशी बाबत् तैयार फर्द नक्शामौका प्रदर्श पी–4, अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 50 के तहत दिया गया नोटिस प्रदर्श पी–5 से 7, नोटिस का जवाब प्रदर्श पी–8 से 10, फर्द जामातलाशी अभियुक्तगण प्रदर्श पी–11 से 13, फर्द वजन तालिका प्रदर्श पी–14, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–15, टेस्ट मीमो की प्रतियां प्रदर्श पी–16 व 17, सम्पूर्ण कार्यवाही का पंचनामा प्रदर्श पी–18, अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 67 के तहत दिया गया नोटिस प्रदर्श पी–19, 22, 25, अभियुक्तगण के स्वेच्छिक बयान प्रदर्श पी–20, 23, 26, फर्द गिरफ्तारी मीमो अभियुक्तगण प्रदर्श पी–21, 24, 27, फर्द सूचना गिरफ्तारी अभियुक्तगण प्रदर्श पी–28 से 30, अभियुक्तगण का मेडिकल मुआयना करवाये जाने बाबत् लिखा गया पत्र प्रदर्श पी–45, मेडिकल मुआयना रिपोर्ट अभियुक्तगण योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार प्रदर्श पी–46 व 47, अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रदर्श पी–48, केन्द्रीय कारागृह जोधपुर द्वारा अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लेने की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–49, कन्ट्रोल सैम्पल आर्टिकल–1 से 6, रेमनेन्ट सैम्पल आर्टिकल–7, सफेद कपड़े की थैली में रखा पैकेट आर्टिकल–7, सफेद रंग का डिब्बा आर्टिकल–7/2, नमूना सैम्पल पैकेट मार्क पी1एस1 से पी6एस1 आर्टिकल–7/3 से 7/8, काला बैग आर्टिकल–8, अभियुक्त राजेश की व्यक्तिगत तलाशी में मिला सामान आर्टिकल–9, अभियुक्त अविनाश कुमार की व्यक्तिगत तलाशी में मिला सामान आर्टिकल–10, अभियुक्त योगेन्द्र कुमार की व्यक्तिगत तलाशी में मिला सामान आर्टिकल–11 होकर इन पर उसके व संबंधित गवाहान् के हस्ताक्षर होना कहा है।

16– इस साक्षी से बचाव पक्ष के द्वारा विस्तृत जिरह की गई है, परन्तु जिरह में यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में किये गये कथनो से तनिक भी विचलित नहीं हुआ

है। यह साक्षी प्राप्त गोपनीय सूचना पर मौके पर नहीं गया हो, अथवा मौके पर अभियुक्तगण के संयुक्त कब्जे के बैग में से अफीम बरामद नहीं हुई हो, ऐसा कोई स्पष्ट सुझाव बचाव पक्ष द्वारा जिरह में इस साक्षी को नहीं दिया गया है। वरन् जिरह में भी इस साक्षी ने अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार के संयुक्त कब्जे के बैग में से उक्त अफीम बरामद होना कहा है। यही नहीं, बचाव पक्ष द्वारा जिरह में इस साक्षी को मुखबीर की सूचना प्राप्त होने, मुलजिमान् को दस्तयाब कराते समय मुखबीर की सूचना से अवगत नहीं कराने के बाबत् सुझाव दिये गये हैं, अर्थात् बचाव पक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस साक्षी को मुखबीर की सूचना प्राप्त होना तथा मौके पर अभियुक्तगण को दस्तयाब करना स्वीकार कर रहा है, इसीलिये बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी को जिरह में उक्त सुझाव दिये गये हैं। जिस पर इस साक्षी ने **यह कहना सही है कि मुझे बरामदगी के संबंध में मुखबीर सूचना हमें प्राप्त हुई थी। यह कहना गलत है कि मैंने मुलजिमान् को जब दस्तयाब किया, उस समय उन्हें मुखबीर सूचना से अवगत नहीं कराया हो,** कहा है। इस साक्षी को बचाव पक्ष द्वारा आर्टिकल–1 लगायत 6 के साथ छेड़छाड़ कर न्यायालय मे पेश करने से पूर्व सील लगाने, आर्टिकल–8 में रखा बैग बाजार से लाकर मुलजिमान् से झूठा बरामद कराने के बाबत् सुझाव दिये गये हैं, जिस पर इस साक्षी ने स्पष्टतया गलत होना बताते हुये सील मौके पर लगाना कहा है। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी को जिरह में अभियुक्तगण की जामातलाशी में मिला नोटिस अन्तर्गत धारा 50 एन.डी. पी.एस. एक्ट मादक पदार्थ बरामदगी की कार्यवाही के दौरान दिये जाने का सुझाव दिया गया है, अर्थात् बचाव पक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अभियुक्तगण को धारा 50 एन.डी. पी.एस. एक्ट का नोटिस देना तथा मादक पदार्थ की बरामदगी होना स्वीकार कर रहा है, इसीलिये बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी को जिरह में उक्त सुझाव दिया गया है, जिस पर इस साक्षी ने **यह कहना सही है कि जामातलाशी में मिला नोटिस धारा 50 एन.डी. पी.एस. अवैध मादक पदार्थ बरामदगी की कार्यवाही के दौरान दिया गया था,** कहा है। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी को जिरह में बरामदशुदा मादक पदार्थ के प्रत्येक पैकेट में से 25–25 ग्राम कुल 50 ग्राम के नमूना व कन्ट्रोल सैम्पल निकालने का सुझाव दिया गया है, अर्थात् बचाव पक्ष मौके पर मादक पदार्थ बरामद होना, उसमें से नमूना व कन्ट्रोल सैम्पल पृथक करना स्वीकार कर रहा है, इसीलिये बचाव पक्ष द्वारा जिरह में इस साक्षी को उक्त सुझाव दिया गया है, जिस पर इस साक्षी ने **यह कहना सही है कि मैंने बरामदशुदा मादक पदार्थ के प्रत्येक पैकेट से 25–25 ग्राम कुल 50 ग्राम के नमूना व कन्ट्रोल सैम्पल निकाले थे,** कहा है। यही नहीं, जिरह में इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से बैग के ऊपरी भाग को अविनाश व योगेन्द्र के द्वारा पकड़ना व नीचे से राजेश द्वारा पकड़ा होना कहा है। इस साक्षी की अभियुक्तगण से कोई वैमनश्यता या रंजिश हो, ऐसा कोई तर्क बचाव पक्ष द्वारा नहीं लिया गया है और न ही ऐसा कोई सुझाव इस साक्षी को जिरह में बचाव पक्ष के द्वारा दिया गया है। वरन् इस साक्षी के द्वारा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ स्वभाविक तौर पर साक्ष्य दी गई है, जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं हो रहा है।

17— पी.डब्ल्यू.—6 बंशीलाल पुत्र स्व. श्री रामपाल जाट अवैध अफीम की बरामदगी का चश्मदीद साक्षी है। इस साक्षी ने भी पी.डब्ल्यू.—3 रामेश्वरदास के कथनों का पूर्णतः समर्थन करते हुये दिनांक 18.06.2018 को उसका अधीक्षक महोदय के द्वारा गठित एन.सी.बी. टीम में शामिल होना, उसी दिन समय लगभग दिन में डेढ बजे जब्ती व निवारण कार्य हेतु एन.सी.बी. जोधपुर के कार्यालय से सरकारी वाहन से रवाना होकर जोधपुर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित चन्द्र विलास लॉज पहुंचना, टीम प्रभारी रामेश्वरदास द्वारा निगरानी कार्य शुरू करना, निगरानी कार्य शुरू करने से पहले रामेश्वरदास द्वारा टीम के सदस्यों को प्राप्त सूचना के बारे में बताना, उक्त सूचना के अनुसार उस दिन समय लगभग साढे तीन बजे तीन व्यक्तियों का चन्द्र विलास लॉज की ओर आते दिखाई देना, जिनका लॉज के काउन्टर पर पहुंचने पर रामेश्वरदास द्वारा इनको अपना परिचय देकर नाम पता पूछने पर राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार तीनों निवासी गया बिहार के होना बताना, उक्त तीनों व्यक्तियों को गोपनीय सूचना के बारे में बताने पर तीनों व्यक्तियों द्वारा सूचना सही होना बताना, रामेश्वरदास द्वारा काले बैग को खोलकर दिखाने का कहने पर राजेश कुमार द्वारा अपने पास रखे बैग को खोलकर दिखाने पर उसमें कुल छः पैकेट्स में काले मटमेले रंग का पदार्थ होना, पैकेट्स को खोलकर देखने से पहले काउन्टर पर मौजूद दो व्यक्तियों अशोक सिंह व बंशीलाल को सूचना से अवगत कराकर बरामदगी एवं जब्ती कार्यवाही हेतु मौतबीर रहने की सहमति प्राप्त करना, ताबाद बैग से निकाले गये पैकेट्स में से एक पैकेट को खोलकर पैकेट में से थोड़ा पदार्थ लेकर ड्रग डिटेक्शन किट से जांच करने पर अफीम होना पाया जाना, उक्त पैकेट पर मार्क पी1 अंकित करना, उक्त तीनो व्यक्तियों को लॉज के रूम नम्बर 7 में ठहरना, रूम से ये लोग अफीम बेचने हेतु निकले परन्तु ग्राहक नहीं मिलने के कारण पुनः लॉज में आना, रूम की तलाशी में कोई अवैध मादक पदार्थ बरामद नहीं होना, उसके बाद रामेश्वरदास द्वारा फर्द नक्शामौका तैयार करना, मौके पर भीड़ जमा होने के कारण मौके पर कार्यवाही करना संभव नहीं होने से समय 16.45 बजे उक्त तीनों व्यक्तियों व टीम के साथ एन.सी.बी. कार्यालय पहुंचना, जहां तीनों संदिग्ध व्यक्तियों की उपस्थिति में बरामदशुदा बैग में से अफीम से भरे सभी पैकेट्स निकालकर उन पर मार्क पी1 से पी6 अंकित करना, पैकेट मार्क पी2 से पी6 में से भी थोडा पदार्थ निकालकर ड्रग डिटेक्शन किट से चैक करने पर अफीम होना पाया जाना, प्रत्येक पैकेट में से 25—25 ग्राम के सैम्पल्स निकालकर प्लास्टिक डिब्बियों में डालकर डिब्बियों पर मार्क पी1एस1 से पी6एस1 तथा पी1एस2 से पी6एस2 अंकित कर सील मोहर करना, सभी पैकेट्स का वजन करने पर कुल तौल 5.750 किलोग्राम होना, वजन तालिका की फर्द तैयार करना, तीन प्रतियों में टेस्ट मीमो तैयार करना, पंचनामा प्रदर्श पी—18 पर उसके हस्ताक्षर होना, उक्त काले बैग को मार्किन के कपड़े से लपेटकर सिलाई कर मार्क पी7 अंकित करना, पंचनामा सही पाये जाने पर संबंधित व्यक्तियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर करना कहा है।

18— इस साक्षी से भी बचाव पक्ष के द्वारा की गई जिरह में यह साक्षी भी अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों से तनिक भी विचलित नहीं हुआ है। यह साक्षी एन.सी.बी. टीम का सदस्य होकर मौके पर नहीं गया हो, अथवा मौके पर अभियुक्तगण के संयुक्त कब्जे के काले बैग में से अवैध अफीम बरामद नहीं हुई हो, ऐसा कोई स्पष्ट सुझाव जिरह में बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी को नहीं दिया गया है, वरन् जिरह में भी इस साक्षी ने अभियुक्तगण के कब्जे से काले बैग में से अवैध अफीम बरामद होना एवं बैग को दो आरोपियों के द्वारा एक–एक लेस को पकड़ रखा होने तथा दिव्यांग द्वारा बैग को नीचे से हाथ से पकड़ा होना कहा है। इस साक्षी की अभियुक्तगण से कोई वैमनश्यता या रंजिश हो, ऐसा कोई तर्क बचाव पक्ष द्वारा नहीं लिया गया है और न ही ऐसा कोई सुझाव जिरह में बचाव पक्ष के द्वारा इस साक्षी को दिया गया है, वरन् इस साक्षी के द्वारा भी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ स्वभाविक तौर पर साक्ष्य दी गई है, जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं हो रहा है।

19— पी.डब्ल्यू.–1 बंशीलाल व पी.डब्ल्यू.–2 अशोक सिंह को अभियोजन पक्ष द्वारा बरामदगी के स्वतन्त्र साक्षियों के रूप में परीक्षित कराया गया है। हालांकि इन साक्षियों ने अपने सशपथ कथनों में उनके सामने अभियुक्तगण के कब्जे से अफीम बरामद होते देखने से इंकार किया है, परन्तु उनका चन्द्र विलास लॉज में उपस्थित होना, नारकोटिक्स वालो का चन्द्र विलास लॉज में आना, उन्हें गवाह बनने हेतु पत्र देना, फर्दों पर उनके हस्ताक्षर होना, प्रत्येक थैली में से उनके समक्ष सैम्पल निकालना स्वीकार किया है।

यही नहीं, पी.डब्ल्यू.–1 बंशीलाल पुत्र रोड़मल ने विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में चन्द्र विलास लॉज में नारकोटिक्स वालो का आना, गवाह बनने हेतु उसे दिया गया पत्र प्रदर्श पी–1 पर उसके हस्ताक्षर होना, प्रदर्श पी–2 पर हस्ताक्षर एन.सी.बी. कार्यालय में करना, नक्शामौका प्रदर्श पी–3 चन्द्र विलास लॉज में बनाये जाने की बात को गलत होना बताना, एन.सी.बी. कार्यालय में उसके सामने धारा 50 एन.डी.पी.एस. का नोटिस मुलजिम राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश को देने की बात को सही होना बताना, प्रदर्श पी–8 राजेश कुमार, प्रदर्श पी–9 योगेन्द्र व प्रदर्श पी–10 अविनाश द्वारा व्यक्तिगत तलाशी के संबंध में लिखित सहमति देना, जिस पर उसके हस्ताक्षर होना, अभियुक्तगण की व्यक्तिगत जामातलाशी में मिले सामान की फर्द प्रदर्श पी–11, 12 व 13 पर उसके हस्ताक्षर होना, प्रत्येक छोटी थैली में से दो–दो सैम्पल निकालने की बात को सही होना बताना, फर्द वजन तालिका प्रदर्श पी–14, फर्द नमूना मोहर प्रदर्श पी–15, टेस्ट मीमो प्रदर्श पी–16 व 17, पंचनामा प्रदर्श पी–18, अभियुक्तगण को धारा 67 एन.डी.पी.एस. के तहत दिये गये नोटिस प्रदर्श पी–19, 22 व 25, अभियुक्तगण के धारा 67 के तहत बयान प्रदर्श पी–20, 23 व 26, अभियुक्तगण के गिरफ्तारी मीमो प्रदर्श पी–21, 24 व 27, फर्द गिरफ्तारी सूचना प्रदर्श पी–28 से 30 पर उसके हस्ताक्षर होना कहा है।

20— पी.डब्ल्यू.—2 अशोक सिंह ने अपने सशपथ कथनों में दिनांक 18.06.2018 को वह अपनी होटल चन्द्र विलास लॉज में बैठा होना, राजेश कुमार, योगेन्द्र व अविनाश उसकी होटल के कमरा नम्बर 7 में ठहरना, उसी दिन एन.सी.बी. वालों का उसकी होटल में आना, तब राजेश कुमार, योगेन्द्र व अविनाश उसकी होटल में ठहरा हुये होना, एन.सी.बी. वालों द्वारा इस प्रकरण में उसे व बंशीलाल को पंचगवाह बनाना, प्रदर्श पी—34 पंचगवाह बनने के पत्र पर तारीख सहित उसके हस्ताक्षर होना, प्रदर्श पी—35 लिखित सहमति पत्र पर तारीख सहित उसके हस्ताक्षर होना, एन.सी.बी. वालों द्वारा उसे अफीम दिखाकर कहना कि तीनों मुलजिमान् से अफीम बरामद की है, काले रंग के बैग में अफीम होना, एन.सी.बी. वालों द्वारा बनाये गये नक्शामौका प्रदर्श पी—2 सहित प्रदर्श पी—5 लगायत 30 पर अपने हस्ताक्षर होना कहा है।

इन साक्षियों ने उक्त फर्दों पर हस्ताक्षर क्यों करें, इसका कोई युक्तिसंगत आधार अपने सशपथ कथनो में नहीं बताया है। उक्त फर्दों पर इन साक्षियों के हस्ताक्षर बलपूर्वक कराये गये हो, ऐसा कोई तर्क भी बचाव पक्ष द्वारा नहीं लिया गया है और न ही ऐसा कोई कोई कथन इन साक्षियों ने अपने सशपथ कथनों में किया है। वरन् पी.डब्ल्यू.—1 बंशीलाल ने अपने सशपथ कथनों की जिरह में **यह कहना सही है कि मेरे हस्ताक्षर कोई दबाव देकर नहीं कराये गये, मैंने अपनी मर्जी से किये थे। अशोक मुझे साथ ले गया था। जहां उसने हस्ताक्षर किये, मैंने भी हस्ताक्षर किये,** कहा है। अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को अभियुक्तगण के रिश्तेदारों का उससे मिलने तथा मुलजिमान् को बचाने के लिये गलत बयान देने का सुझाव दिया गया है। लिहाजा ऐसी स्थिति में इस साक्षी के द्वारा अभियुक्तगण के रिश्तेदारों के दबाव में आकर उनसे मिलना, अर्थात् उनके दबाव में आकर अभियुक्तगण को बचाने हेतु अभियुक्तगण से मादक पदार्थ बरामद नहीं होने के बयान दिया जाना प्रतीत हो रहा है। जबकि प्रकरण में बरामदगी के शेष सभी साक्षियों ने उक्त दोनों साक्षी पी.डब्ल्यू.—1 बंशीलाल व पी.डब्ल्यू.—2 अशोक सिंह का मौके पर उपस्थित होना और मौके पर अभियुक्तगण के कब्जे के काले बैग से उक्त अवैध अफीम बरामद होना कहा है।

21— हमने प्रदर्श पी—1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 31, 34, 42, 43, 44, 53 का गहनता से अवलोकन किया। प्रदर्श पी—43 पी.डब्ल्यू.—3 को प्राप्त गोपनीय सूचना है, जो कि दिनांक 18.06.2018 को तैयार की गई है, जिसमें राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार नाम के तीन व्यक्तियों द्वारा 5 से 8 किलोग्राम अवैध अफीम के साथ चन्द्र विलास लॉज रेलवे स्टेशन के सामने जोधपुर में लगभग 2 पी.एम. से 4.00 पी.एम. के मध्य प्रवेश करने तथा इस अवैध अफीम को किसी अज्ञात को विक्रय करने की सूचना मिलना दर्शाया हुआ है। प्रदर्श पी—44 अधीक्षक, एन.सी.बी. जोधपुर द्वारा बरामदगी कार्यवाही हेतु टीम गठन का आदेश है, जिसमें भी उक्त गोपनीय सूचना को दर्शाया हुआ है। प्रदर्श पी—1 व 34 मौतबिरान् से मौतबीर रहने की सहमति चाहने बाबत् तैयार की गई फर्द है, जिसमें राजेश

कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार से अफीम बरामद करने हेतु मौतबिरान् से मौतबीर बनने की सहमति चाहना दर्शाया हुआ है। प्रदर्श पी–5 से 7 अधिनियम की धारा 50 के तहत अभियुक्तगण को दिया गया नोटिस है, जिसमें सूचना अनुसार अभियुक्तगण से अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद हो जाने के पश्चात् अभियुक्तगण की व्यक्तिगत तलाशी ली जाना दर्शाया हुआ है। प्रदर्श पी–3 फर्द नक्शामौका बरामदगी स्थल है, जिसमें भी बरामदगी स्थल रेलवे स्टेशन जोधपुर के सामने स्थित चन्द्र विलास लॉज का होना दर्शाया हुआ है। प्रदर्श पी–4 फर्द नक्शामौका चन्द्र विलास लॉज के कमरा नम्बर 7 का है, जिसमें अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार का ठहरना दर्शाया हुआ है। प्रदर्श पी–20, 23 व 26 अभियुक्तगण के द्वारा लेखबद्ध कराये गये स्वेच्छिक बयान है, जिनमें अभियुक्तगण द्वारा बरामदशुदा अवैध अफीम अनुज अग्रवाल नामक व्यक्ति से लेकर आकर आगे महेन्द्र नाम के व्यक्ति को दी जानी होने तथा एन.सी.बी. टीम जोधपुर के द्वारा उनके पास रखे काले बैग में से उक्त अफीम बरामद कर लेने बाबत् बयान दिया जाना दर्शाया हुआ है। प्रदर्श पी–21, 24 व 27 फर्द गिरफ्तारी मीमो अभियुक्तगण है, जिनमें भी अभियुक्तगण के कब्जे से अफीम बरामद होने पर उन्हें गिरफ्तार किया जाना दर्शाया हुआ है। प्रदर्श पी–31 व 42 स्वतन्त्र मौतबिरान् बंशीलाल व अशोक द्वारा लेखबद्ध कराये गये स्वेच्छिक बयान है, जिनमें भी गवाहान् द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से काले बैग में से अफीम बरामद होने बाबत् बयान दिया जाना दर्शाया हुआ है। प्रदर्श पी–14 फर्द वजन तालिका है, जो कि दिनांक 18.06.2018 को तैयार की गई है, जिसमें भी बरामदशुदा अवैध अफीम का कुल वजन 5.750 किलोग्राम होना दर्शाया हुआ है। प्रदर्श पी–15 फर्द नमूना मोहर है, जो कि दिनांक 18.06.2018 को तैयार की गई है, जिसमें बरामदशुदा अफीम में से लिये गये सैम्पल्स को सीलमोहर करने हेतु लगायी जाने वाली सील का नमूना तैयार किया जाना दर्शाया हुआ है। प्रदर्श पी–18 फर्द पंचनामा है, जो कि एन.सी.बी. टीम प्रभारी श्री रामेश्वरदास द्वारा दिनांक 18.06.2018 को तैयार किया गया है, जिसमें अभियुक्तगण से बरामदशुदा अवैध अफीम की सम्पूर्ण कार्यवाही को दर्शाते हुये अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार के कब्जे से काले बैग में से अवैध अफीम बरामद की जाना दर्शाया हुआ है। प्रदर्श पी–53 अधिनियम की धारा 57 के तहत उच्चाधिकारी को भेजी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट है, जिसमें प्रकरण के तथ्यों एवं कार्यवाही का विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुये अभियुक्तगण के कब्जे से अफीम बरामद होना दर्शाया हुआ है। उक्त सभी दस्तावेजों को अभियोजन पक्ष के द्वारा पूर्णतः प्रमाणित किया गया है।

22– लिहाजा अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य तथा दस्तावेज प्रदर्श पी–1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 31, 34, 42, 43, 44, 53 के आधार पर दिनांक 18.06.2018 को समय लगभग 3.30 पी.एम. पर रेलवे स्टेशन जोधपुर के पास स्थित चन्द्र विलास लॉज में अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार के संयुक्त अधिपत्य व अनन्य कब्जे के काले बैग में से छः पैकेट्स में कुल

5.750 किलोग्राम अफीम बरामद होना पूर्णतः प्रमाणित है।

23— उक्त बरामदशुदा अफीम को रखने का अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार के पास कोई वैध अनुज्ञा—पत्र हो, ऐसा कोई तर्क बचाव पक्ष के द्वारा नहीं लिया गया है, न ही ऐसा कोई अनुज्ञा—पत्र/परमिट बचाव पक्ष के द्वारा पेश कर प्रदर्शित कराया गया है।

24— लिहाजा अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार के पास उक्त बरामदशुदा अफीम को अपने कब्जे मे रखने का कोई वैध अनुज्ञा—पत्र नहीं होना भी पूर्णतया प्रमाणित है।

25— पी.डब्ल्यू.—3 रामेश्वरदास व पी.डब्ल्यू.—6 बंशीलाल पुत्र स्व. श्री रामपाल जाट ने अपने सशपथ कथनों में अभियुक्तगण राजेश, योगेन्द्र व अविनाश से बरामद अवैध अफीम में से मौके पर ही 25—25 ग्राम के नमूना व कन्ट्रोल सैम्पल निकालकर प्लास्टिक डिब्बियों में डालकर थैली में रखकर हिटसील कर मार्क पी1एस1 लगायत पी6एस1 तथा पी1एस2 लगायत पी6एस2 अंकित करना, शेष मुद्दा माल को अलग—अलग प्लास्टिक थैली में रखकर हिटसील कर अलग—अलग कपडे की थैली में डालकर विभागीय सील लगाकर मार्क पी1 लगायत पी6 अंकित करना तथा बाद कार्यवाही जब्तशुदा मादक पदार्थ, बैग, 12 सैम्पल व जामातलाशी में मिले सामान को मालखाना प्रभारी को सुपुर्द करना कहा है।

26— पी.डब्ल्यू.—5 विशाल पंवार, जो कि तत्कालीन मालखाना प्रभारी है, जिसने अपने सशपथ कथनों में दिनांक 18.06.2018 को उसका एन.सी.बी. जोधपुर में अधीक्षक के पद पर होकर उस दिन उसके पास मालखाना प्रभारी का भी कार्यभार होना, दिनांक 19.06.2018 को आसूचना अधिकारी रामेश्वरदास द्वारा उसके समक्ष फॉर्म नम्बर 1 के साथ कुल 7 पैकेट सीलशुदा अवस्था में जमा करने हेतु सुपुर्द करना, यह सामान प्राप्त करने का इन्द्राज उसके द्वारा माल गोदाम रजिस्टर में पेज संख्या 37 पर क्रम संख्या 22 पर किया जाना, असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी—58 व इसकी प्रति प्रदर्श पी—58ए पर ए से बी भाग में जमा होने का इन्द्राज व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित होना, आसूचना अधिकारी द्वारा उसके पास अफीम के नमूने भी जमा करवाये जाना, जिसका इन्द्राज सैम्पल रजिस्टर के पेज संख्या 34 पर क्रम संख्या 22 पर करना, इसके साथ ही आसूचना अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण की जामातलाशी में मिले सामान के कुल तीन पैकेट जमा कराये, जिसका उसने तलाशी रजिस्टर के पेज संख्या 42 से 44 पर क्रम संख्या 22 पर इन्द्राज किया, असल रजिस्टर प्रदर्श पी—59 व इसकी प्रति प्रदर्श पी—59ए पर ए से बी भाग में सामान का विवरण अंकित होना, दिनांक 19.06.2018 को उक्त प्रकरण के छः सैम्पल सीलशुदा हालत में मय अग्रेषण—पत्र व टेस्ट मीमो एक विशेष वाहक हेमराज गोयल के मार्फत सरकारी अफीम कारखाना नीमच को रासायनिक जांच हेतु भेजना, अग्रेषण—पत्र प्रदर्श

पी–55 होना, सैम्पल सुपुर्द करने का इन्द्राज सैम्पल रजिस्टर प्रदर्श पी–56 पर एम से एन भाग में किया जाना, सैम्पल जमा कराने के पश्चात् हेमराज गोयल द्वारा उसके पास दिनांक 21.06.2018 को अभिस्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया जाना, जो प्रदर्श पी–57 होना कहा है।

27– पी.डब्ल्यू.–4 हेमराज उक्त नमूना सैम्पल्स रासायनिक जांच हेतु सरकारी अफीम कारखाना, नीमच में जमा कराने वाला साक्षी है, इस साक्षी ने अपने सशपथ कथनो में दिनांक 19.06.2018 को उसका एन.सी.बी. जोधपुर में हवलदार के पद पर पदस्थापित होना, उस दिन मालखाना प्रभारी विशाल पंवार द्वारा प्रकरण संख्या 9/2018 के सैम्पल नीमच में जमा करवाने के लिये उसे देना, टेस्ट मीमो की दो प्रतियां व छः सैम्पल सीलशुदा हालत में दिया जाना, जो सैम्पल उसके द्वारा सीलशुदा अवस्था मे प्राप्त किया जाना, दिनांक 20.06.2018 को उसके द्वारा प्राप्त किये गये छः सीलशुदा सैम्पल व दो टेस्ट मीमो व अग्रेषण पत्र शासकीय अफीम एवं एलकलाइड कारखाना नीमच में जमा करवाना, जहां से रसीद प्रदर्श पी–57 प्राप्त कर अधीक्षक कार्यालय लाकर पेश करना, उसे जिस सीलबन्द हालत में सैम्पल प्राप्त हुये थे, उसी सीलशुदा हालत में उसके द्वारा सैम्पल को जमा करवाना कहा है।

28– इन साक्षियों से बचाव पक्ष के द्वारा की गई जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं आया है जिससे कि अभियोजन कहानी पर कोई सन्देह जाहिर हो।

29– पी.डब्ल्यू.–11 ऋचा चायल तत्कालीन महानगर मजिस्ट्रेट होकर प्रकरण में जब्तशुदा मादक पदार्थ की इन्वेन्ट्री बनाने वाली साक्षी है, जिसने अपने सशपथ कथनो में दिनांक 03.11.2018 को एन.सी.बी. जोधपुर के इस मुकदमे में सीलशुदा थैलियां मार्क पी1 लगायत पी6 उसके समक्ष पेश करना, जो सीलशुदा होना, उक्त प्रत्येक थैली में से 25–25 ग्राम के प्रतिनिधि नमूना अलग कर डिब्बियों में डालकर मार्क पी1आरएस1 लगायत पी6आरएस1 अंकित कर सीलचपड़ी करना, उक्त मार्कशुदा पैकेट्स का वजन करवाकर इन्वेन्ट्री रिपोर्ट तैयार कर सत्यापित करना, इन्वेन्ट्री फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी–36 से 41 तथा इन्वेन्ट्री कार्यवाही के दस्तावेज एवं फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी–82 से 91 होना कहा है। इस साक्षी ने अपने सशपथ कथनों में बाद इन्वेन्ट्री कार्यवाही समस्त माल आसूचना अधिकारी को सुपुर्द करना कहा है।

30– पी.डब्ल्यू.–10 सुखबीर सिंह ने अपने सशपथ कथनों में दिनांक 03.11.2018 को उसका एन.सी.बी. जोधपुर कार्यालय में आसूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत होना, उस दिन महानगर मजिस्ट्रेट श्रीमती ऋचा चायल का एन.सी.बी. कार्यालय में उपस्थित आना, जिनके समक्ष प्रकरण से संबंधित अभिग्रहित मादक पदार्थ मजिस्ट्रेट के समक्ष सत्यापन हेतु पेश करना, मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा पैकेटों की जांच करने पर पैकेट सीलबन्द अवस्था मे पाया जाना, जिनका वजन करवाने पर कुल वजन 5.474 किलोग्राम होना, प्रत्येक पैकेट में से 25–25 ग्राम के सैम्पल लेकर प्लास्टिक डिब्बियो

में डालकर सीलमोहर कर मार्क पी1आरएस1 से पी6आरएस1 अंकित करना, इन्वेन्ट्री कार्यवाही की फोटोग्राफी करवाना, इन्वेन्ट्री कार्यवाही के बाद इन्वेन्ट्री रिपोर्ट मय फोटोग्राफ्स मय सैम्पल पैकेट व मुद्दा माल उसे सुपुर्द करने पर उसके द्वारा जमा मालखाना करना, धारा 52ए कार्यवाही के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी–82 लगायत 88 होना, सैम्पल निकालने से पूर्व लिये गये फोटोग्राफ प्रदर्श पी–36 लगायत 41, मूल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–58 व सत्यापित प्रति प्रदर्श पी–58ए, मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार की गई इन्वेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी–89, प्रतिनिधि सैम्पल आर्टिकल–12 लगायत 17 होना कहा है।

31– हमने प्रदर्श पी–15, 16, 18, 36 से 41, 50, 51, 55, 56ए, 57, 58ए, 82 से 91 का गहनता से अवलोकन किया। प्रदर्श पी–18 फर्द पंचनामा है, जो कि दिनांक 18.06.2018 को तैयार किया गया है, जिसमें अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद अवैध अफीम में से 25–25 ग्राम अफीम निकालकर प्लास्टिक डिब्बियों में डालकर सीलमोहर कर नमूना सैम्पल पर मार्क पी1एस1 से पी6एस1 तथा कन्ट्रोल सैम्पल पर मार्क पी1एस2 से पी6एस2 अंकित करना, पैकेट्स पर मार्क पी1 लगायत पी6 अंकित करना दर्शाया हुआ है। प्रदर्श पी–15 फर्द नमूना सील है, जिसमें भी मौके पर बरामद अफीम में से लिये गये सैम्पल्स पर लगायी गई सील का नमूना अंकित होना दर्शाया हुआ है। प्रदर्श पी–56ए एन.सी.बी. जोधपुर का नमूना रजिस्टर है, जिसमें मौके से लिये गये नमूना व कन्ट्रोल सैम्पल्स सीलशुदा अवस्था में दिनांक 19.06.2018 को जमा होना दर्शाया हुआ है। प्रदर्श पी–58ए एन.सी.बी. जोधपुर की माल गोदाम पंजिका की प्रति है, जिसमें अफीम के छः पैकेट्स सीलशुदा अवस्था में दिनांक 19.06.2018 को जमा होना दर्शाया हुआ है। प्रदर्श पी–50 व 51 जब्ती अधिकारी द्वारा सैम्पल्स व वजह सबूत पैकेट्स व काला बैग मालखाना में जमा कराये जाने का प्रपत्र है, जिसमें सभी सैम्पल्स सीलशुदा अवस्था में प्राप्त होकर जमा किया जाना दर्शाया हुआ है। प्रदर्श पी–55 अधीक्षक, एन.सी.बी, जोधपुर द्वारा प्रबन्धक, अफीम कारखाना नीमच को नमूनों की जांच बाबत् लिखा गया अग्रेषण–पत्र तथा प्रदर्श पी–57 नमूनें अफीम कारखाना नीमच में जमा कराये जाने की प्राप्ति रसीद हैं, जिनमें अफीम नमूने के कुल छः पैकेट सीलशुदा होकर सीलबन्द हालत में दिनांक 20.06.2018 को अफीम कारखाना, नीमच पहुंचना दर्शाया हुआ है। प्रदर्श पी–16 टेस्ट मीमो/नमूनों की जांच रिपोर्ट है, जिसमें भी नमूना सैम्पल पैकेट मार्क पी1एस1 लगायत पी6एस1 दिनांक 20.06.2018 को सीलशुदा अवस्था में अफीम कारखाना नीमच पहुंचना, जिनकी सील सुरक्षित होकर बाद रासायनिक जांच उनमें Opium पायी जाना दर्शाया हुआ है। उक्त प्रदर्श पी–16 में रासायनिक जांच में निम्न परिणाम आना दर्शाया हुआ है :–

"Each of the five sample marked as P1S1, P3S1 to P6S1 respectively, is in the form of brown colored suspension with characteristic odour of opium. On the basis of chemical and chromatographic examinations, it is concluded that each of the five sample under reference answers positive test for opium."

"The sample marked as P2S1 is in the form of brown colored pasty mass with characteristic odour of opium. On the basis of chemical and chromatographic examinations, it is concluded that the sample under reference answers positive test for opium."

उक्त जांच रिपोर्ट को कोई चुनौती बचाव पक्ष द्वारा नही दी गई है।

प्रदर्श पी–36 लगायत 41, 82 लगायत 91 प्रकरण में जब्तशुदा अफीम की इन्वेन्ट्री कार्यवाही के दस्तावेज एवं फोटोग्राफ्स हैं, जिनमें भी कन्ट्रोल सैम्पल व मुद्दा माल के पैकेट्स सील्ड चेपा युक्त होना दर्शाया हुआ है। उक्त सभी दस्तावेजों को अभियोजन पक्ष द्वारा पूर्णतः प्रमाणित किया गया है।

32– लिहाजा अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य व उपरोक्त प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श पी–15, 16, 18, 36 से 41, 50, 51, 55, 56ए, 57, 58ए, 82 से 91 के आधार पर दिनांक 18.06.2018 को अभियुक्तगण के कब्जे से बैग में से बरामद अफीम में से मौके पर ही 25–25 ग्राम के नमूना व कन्ट्रोल सैम्पल पृथक कर सीलमोहर कर मार्क पी1एस1 लगायत पी6एस1 तथा पी1एस2 लगायत पी6एस2 अंकित करना, अफीम के पैकेट्स पर मार्क पी1 लगायत पी6 अंकित करना, जो सीलशुदा अवस्था में एन.सी.बी. के मालखाना माल गोदाम पंजिका व नमूना रजिस्टर में जमा होना तथा उक्त नमूना सैम्पल मार्क पी1एस1 लगायत पी6एस1 सीलशुदा अवस्था में दिनांक 19.06.2018 को जांच हेतु अफीम कारखना नीमच में जमा कराने हेतु मालखाने से भिजवाना, जो दिनांक 20.06.2018 को अफीम कारखाना, नीमच में जमा होना, जिनकी रासायनिक जांच में Opium पायी जाना पूर्णतया प्रमाणित है, अर्थात् नमूना सैम्पल लेने के समय से नमूना की सील जांच हेतु अफीम कारखाना मे पहुंचने तक छेडछाड से परे सुरक्षित रहना पूर्णतः प्रमाणित है।

33– जहां तक अधिनियम की धारा 42, 50 व 57 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना करने की बाबत् है, पी.डब्ल्यू.–3 रामेश्वरदास ने अपने सशपथ कथनों में उसे एक गोपनीय सूचना कि ''राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार निवासी जिला गया, बिहार अपने पास 5–8 किलो अफीम लेकर समय 2.00–4.00 बजे के मध्य चन्द्र विलास रेलवे स्टेशन के सामने प्रवेश करेंगे और अज्ञात व्यक्ति को अफीम देंगे'' प्राप्त होना, उक्त सूचना उसके द्वारा एन.सी.बी.1 में दर्ज कर अधीक्षक विशाल पंवार को प्रेषित करना, जो प्रदर्श पी–42 होकर उस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, अधीक्षक विशाल पंवार द्वारा सी से डी सीन का पृष्ठांकन कर जी से एच हस्ताक्षर करना, विशाल पंवार द्वारा प्रतिलिपि अपने पास रखकर मूल प्रति उसे वापस देना कहा है।

34– पी.डब्ल्यू.–5 विशाल पंवार तत्कालीन अधीक्षक, एन.सी.बी, जोधपुर है, उक्त साक्षी ने अपने सशपथ कथनों में दिनांक 18.06.2018 को उसका एन.सी.बी. जोधपुर में

अधीक्षक के पद पर कार्यरत होना, उस दिन प्रातः 11 बजे आसूचना अधिकारी रामेश्वरदास द्वारा उसके समक्ष प्रारूप फॉर्म एन.सी.बी.1 में एक गुप्त सूचना प्रस्तुत करना, गुप्त सूचना प्रदर्श पी–43 होकर सी से डी भाग में उसका सीन का पृष्ठांकन, जी से एच भाग में हस्ताक्षर मय समय व दिनांक अंकित होना कहा है।

35– इन साक्षियों से बचाव पक्ष के द्वारा की गई जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं आया है, जिससे कि अभियोजन कहानी पर कोई सन्देह जाहिर हो। वरन् इन साक्षियों ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ स्वाभाविक तौर पर साक्ष्य दी है, जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं हो रहा है।

36– हमने प्रदर्श पी–43 का गहनता से अवलोकन किया। प्रदर्श पी–43 गुप्त सूचना उच्चाधिकारी को प्रेषित किये जाने की फर्द है, जो कि दिनांक 18.06.2018 को तैयार की गई है, जिसमें आसूचना अधिकारी को अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार के पास 5 से 8 किलोग्राम अवैध अफीम होने की गोपनीय सूचना प्राप्त होना, उक्त प्रदर्श पी–43 पर सी से डी भाग में उच्चाधिकारी पी.डब्ल्यू.–5 विशाल पंवार द्वारा सीन का अंकन तथा जी से एच भाग में अधीक्षक विशाल पंवार के हस्ताक्षर मय दिनांक 18.06.2018 समय 11.20 ए.एम. का अंकन होना दर्शाया हुआ है। उक्त दस्तावेज को अभियोजन पक्ष द्वारा पूर्णतः प्रमाणित किया गया है।

37– लिहाजा ऐसी स्थिति में पी.डब्ल्यू.–3 रामेश्वरदास के द्वारा अधिनियम की धारा 42 के तहत सूचना उच्चाधिकारी को भेजना, जो उच्चाधिकारी को प्राप्त हो जाना अर्थात् अधिनियम की धारा 42(2) के आज्ञापक प्रावधानों की पालना होना पूर्णतः प्रमाणित है।

38– जहां तक अधिनियम की धारा 50 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना करने के बाबत् है, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान अभियुक्त के शरीर की तलाशी के संबंध में लागू होते हैं, अर्थात् यदि अभियुक्त के शरीर की तलाशी में उसके शरीर से मादक पदार्थ बरामद होता है, तो उसी स्थिति में अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान लागू होते हैं। यदि मादक पदार्थ अभियुक्त के द्वारा ले जाये जा रहे बैग या वाहन से बरामद हो, तो उस स्थिति में अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

39– अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.–3 रामेश्वरदास व पी.डब्ल्यू.–6 बंशीलाल के सशपथ कथनों तथा दस्तावेज प्रदर्श पी–1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 31, 34, 42, 43, 44, 48, 53 के आधार पर हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार के शरीर से मादक पदार्थ बरामद नहीं होकर उनके संयुक्त कब्जे में रखे काले बैग में से कुल छः पैकेट्स में कुल 5.750 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है। लिहाजा अभियुक्तगण के शरीर से मादक पदार्थ बरामद नहीं होकर अभियुक्तगण के कब्जे के काले बैग में से उक्त मादक

पदार्थ अफीम बरामद होने के कारण प्रकरण में अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय **2011 Supreme (SC) 171, Jarnail Singh vs. State of Punjab** में अभियुक्त के द्वारा ले जाई जा रही थैली में से 1.750 किलोग्राम अफीम बरामद हुई थी। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि :–

"The narcotic/opium, i.e., 1 kg. and 750 grams was recovered from the bag (thaili) which was being carried by the appellant. In such circumstances, Section 50 would not be applicable. The aforesaid Section can be invoked only in cases where the drug/narcotic/NDPS substance is recovered as a consequence of the body search of the accused. In case, the recovery of the narcotic is made from a container being carried by the individual, the provisions of Section 50 would not be attracted."

हस्तगत प्रकरण में भी अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार के शरीर की तलाशी से उक्त अवैध अफीम बरामद नहीं हुई है, वरन् अभियुक्तगण के कब्जे के बैग में से उक्त अफीम बरामद हुई है। अतः उपरोक्त न्यायिक नजीर की रोशनी में हस्तगत प्रकरण में अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय **1999 (8) Supreme (SC) 548, Sarjudas & Anr. vs. State of Gujarat** में अभियुक्त के द्वारा चलाये जा रहे स्कूटर पर लटके हुये बैग से चरस बरामद हुई थी। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि :–

"The charas was not found on the person of the appellants but it was found kept in a bag which was hanging on the scooter on which they were riding. Therefore, this was not a case where the person of the accused was searched and from his person narcotic drug or psychotropic substance was found."

हस्तगत प्रकरण में भी बरामदशुदा मादक पदार्थ अफीम अभियुक्तगण के संयुक्त कब्जे के बैग में से बरामद हुई है। लिहाजा उपरोक्त न्यायिक नजीर की रोशनी में हस्तगत प्रकरण में अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

40– इसके अतिरिक्त भी, अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार को तलाशी से पूर्व अधिनियम की धारा 50 का नोटिस दिया गया था। पी.डब्ल्यू

–3 रामेश्वरदास ने अपने सशपथ कथनों में उक्त तीनों व्यक्तियों को धारा 50 एन.डी. पी.एस. एक्ट का नोटिस अलग–अलग दिया जाकर उनके अधिकारों कि वे अपनी व्यक्तिगत तलाशी किसी निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट साहब को दे सकता है, तलाशी के दौरान उक्त अधिकारीगण द्वारा संतुष्ट पाये जाने पर आपको उन्मोचित भी किया जा सकता है, से अवगत करवाना, अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दिया गया नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी–5, 6 व 7 होकर इन पर उसके, मौतबिरान् के हस्ताक्षर होना तथा जवाब नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी–8, 9 व 10 पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर होना कहा है। अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार को अधिनियम की धारा 50 का नोटिस नहीं दिया गया हो, ऐसा कोई तर्क बचाव पक्ष द्वारा नहीं लिया गया है।

41– हमने प्रदर्श पी–5, 6, 7, 8, 9, 10 का गहनता से अवलोकन किया। प्रदर्श पी–5, 6 व 7 क्रमशः अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार को अधिनियम की धारा 50 के तहत दिया गया नोटिस है, जो कि दिनांक 18.06.2018 को तैयार किये गये हैं, जिसमें अवैध अफीम की बरामदगी के पश्चात् अभियुक्तगण को उनकी जामातलाशी लिवाये जाने बाबत् कानूनी अधिकार से अवगत कराना दर्शाया हुआ है। प्रदर्श पी–8, 9 व 10 क्रमशः अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार द्वारा अधिनियम की धारा 50 के नोटिस का दिया गया जवाब है, जिन पर जी से एच भाग में अभियुक्तगण के हस्ताक्षर होना दर्शाया हुआ है। उक्त प्रदर्श पी–5, 6, 7 नोटिस अभियुक्तगण को नहीं दिया गया हो, अथवा उन पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर निशान नहीं हो, ऐसा कोई तर्क बचाव पक्ष द्वारा नहीं लिया गया है।

42– स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50(1) में यह प्रावधान किया गया है :–

"जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है, तब वह ऐसे व्यक्ति को, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो, बिना अनावश्यक विलम्ब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जायेगा।"

अर्थात् जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है, वह व्यक्ति यदि अपेक्षा करे तो उसे तलाशी लेने वाले व्यक्ति द्वारा निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जायेगा। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार के द्वारा तलाशी से पूर्व उन्हें निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की कोई अपेक्षा की गई है, ऐसा कोई तर्क बचाव पक्ष के द्वारा नहीं लिया गया है, न ही इस बाबत् कोई साक्ष्य बचाव

पक्ष के द्वारा पेश की गई है, वरन् अभियुक्तगण को दिये गये अधिनियम की धारा 50 के नोटिस प्रदर्श पी–5, 6 व 7 में अभियुक्तगण को उनकी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष लिवा सकने के कानूनी अधिकार से अवगत कराये जाने के उपरान्त भी अभियुक्तगण ने अपनी तलाशी पी.डब्ल्यू.–3 रामेश्वरदास आसूचना अधिकारी से लिवाने हेतु लिखित में सहमति दी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय **(2011) 1 SCC (Crl.) 497, Vijaysinh Chandubha Jadeja vs. State of Gujarat** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि –

"It would be imperative on the part of the empowered officer to apprise the person intended to be searched of his right to be searched before a gazetted officer or a magistrate. We have no hesitation in holding that in so far as the obligation of the authorised officer under sub-section (1) of Section 50 of the NDPS Act is concerned, it is mandatory and requires a strict compliance."

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय **1999 (6) Supreme (SC) 159, The State of Punjab vs. Baldev Singh & Ors.** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि –

"That when an empowered officer or a duly authorised officer acting on prior information is about to search a person, it is imperative for him to inform the concerned person of his right under Sub-section (1) of Section 50 of being taken to the nearest Gazetted Officer or the nearest Magistrate for making the search. However, such information may not necessarily be in writing."

अर्थात् अधिनियम की धारा 50(1) की पालना हेतु तलाशी व जब्ती करने वाले अधिकारी के द्वारा अभियुक्त को नजदीकी राजपत्रित अधिकारी या नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिवाये जाने के अपने अधिकार के बाबत् सूचित करना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में प्रदर्श पी–5, 6, 7 से पी.डब्ल्यू.–3 रामेश्वरदास के द्वारा तलाशी से पूर्व अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार को उनकी तलाशी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में लिवाये जाने के बाबत् उनके अधिकार के संबंध में अभियुक्तगण को सूचित कर दिया गया था।

लिहाजा उपरोक्त न्यायिक नजीर की रोशनी में हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण की व्यक्तिगत तलाशी से पूर्व अधिनियम की धारा 50 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना होना भी पूर्णतः प्रमाणित है।

43— पी.डब्ल्यू.—3 रामेश्वरदास ने अपने सशपथ कथनों में समस्त कार्यवाही की धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अनुपालना रिपोर्ट उसके द्वारा बनायी जाना, जो प्रदर्श पी—53 होकर उस पर ए से बी प्रत्येक पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर होना, यह अनुपालना रिपोर्ट उसके द्वारा अधीक्षक विशाल पंवार को सुपुर्द की जाना, जिनके द्वारा सी से डी भाग में सीन का पृष्ठांकन कर ई से एफ अपने हस्ताक्षर किया जाना कहा है।

44— पी.डब्ल्यू.—5 विशाल पंवार ने भी अपने सशपथ कथनों में दिनांक 19.06.2018 को शाम 6 बजे आसूचना अधिकारी श्री रामेश्वरदास द्वारा उसके समक्ष प्रकरण की धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जो प्रदर्श पी—53 होकर उस पर सी से डी भाग में उसके द्वारा सीन का पृष्ठांकन व ई से एफ भाग में स्वयं के हस्ताक्षर, समय व दिनांक अंकित होना कहा है।

45— हमने प्रदर्श पी—53 का गहनता से अवलोकन किया। प्रदर्श पी—53 आसूचना अधिकारी एन.सी.बी., जोधपुर द्वारा अधीक्षक, एन.सी.बी, जोधपुर को दिनांक 19.06.2018 को अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत भेजी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट है, जिसमें भी प्रकरण के तथ्यों एवं कार्यवाही का विस्तृत रूप से उल्लेख किया हुआ है। उक्त प्रदर्श पी—53 पर सी से डी भाग में सीन एण्ड रिटर्न्ड कीप इन फाईल का अंकन तथा ई से एफ भाग मे अधीक्षक विशाल पंवार के हस्ताक्षर मय दिनांक 19.06.2018 का अंकन होना दर्शाया हुआ है। उक्त दस्तावेज को अभियोजन पक्ष द्वारा पूर्णतः प्रमाणित किया गया है।

46— लिहाजा अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य तथा उपरोक्त प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श पी—53 के आधार पर प्रकरण में अधिनियम की धारा 57 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना होना पूर्णतः प्रमाणित है।

47— दौराने बहस बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि स्वतन्त्र साक्षी पी.डब्ल्यू.—1 बंशीलाल व पी.डब्ल्यू.—2 अशोक सिंह पक्षद्रोही घोषित होकर उनके द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है, स्वतन्त्र साक्षियों के पक्षद्रोही होने के कारण बरामदगी सन्देहास्पद हो गई है, के बाबत् है, यह सही है कि पी.डब्ल्यू.—1 बंशीलाल व पी.डब्ल्यू.—2 अशोक सिंह ने अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध अफीम बरामद होने से इंकार करते हुये पक्षद्रोही घोषित हुये हैं, परन्तु उक्त दोनों ही साक्षियों ने उनका मौके पर उपस्थित होना व फर्दों पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। जबकि पी.डब्ल्यू.—3 रामेश्वरदास व पी.डब्ल्यू.—6 बंशीलाल ने अपने सशपथ कथनों में स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण के संयुक्त कब्जे से काले बैग में से 5.750 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद होना कहा है।

48— इसके अतिरिक्त भी, स्वतन्त्र साक्षियो के पक्षद्रोही होने मात्र से सम्पूर्ण अभियोजन कहानी अविश्वसनीय नहीं हो जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के

न्यायिक निर्णय **2001 (1) SCC Page 748, NCT of Delhi vs. Sunil** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि :–

"पुलिसकर्मियों की साक्ष्य को सन्देह की दृष्टि से देखने की उपधारणा परिवर्तित होनी चाहिये।"

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय **ए.आई.आर. 2003 (सुप्रीम कोर्ट) 1311, करमजीत सिंह बनाम स्टेट (दिल्ली प्रशासन)** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

"The testimony of police personnel should be treated in the same manner as testimony of any other witness and there is no principle of law that without corroboration by independent witnesses their testimony cannot be relied upon. The presumption that a person acts honestly applies as much in favour of police personnel as of other persons and it is not a proper judicial approach to distrust and suspect them without good grounds."

49– माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय **2013 Supreme (SC) 493, Kashmiri Lal vs. State of Haryana** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

"There is no absolute command of law that the police officers cannot be cited as witnesses and their testimony should always be treated with suspicion. Ordinarily, the public at large show their disinclination to come forward to become witnesses. If the testimony of the police officer is found to reliable and trustworthy, the court can definitely act upon the same."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय 2006 (3) RLW (Raj.) 2307, Paramjeet Singh vs. State of Rajasthan उक्त न्यायिक निर्णय में निष्पक्ष मौतबीर साक्षी पक्षद्रोही हुये और उन्होंने अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया था। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इससे अभियोजन प्रकरण कम स्वीकार्य नहीं हो जायेगा, यदि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं अभिग्रहण की साक्ष्य से अन्यथा न्यायालय को समाधान हो जावे कि उक्त अभिग्रहण वास्तव में किया गया था।

हस्तगत प्रकरण में पी.डब्ल्यू.–3 रामेश्वरदास व पी.डब्ल्यू.–6 बंशीलाल के सशपथ कथनों एवं दस्तावेज प्रदर्श पी–1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 31, 34, 42, 43, 44, 53 से अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार के संयुक्त कब्जे के काले बैग में से 5.750 किलोग्राम अवैध अफीम

बरामद होना प्रमाणित हुआ है। लिहाजा उपरोक्त न्यायिक नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त की रोशनी में स्वतन्त्र साक्षी पी.डब्ल्यू.–1 बंशीलाल व पी.डब्ल्यू.–2 अशोक सिंह के पक्षद्रोही हो जाने मात्र से बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं पहुंचता है।

50– लिहाजा उपरोक्त विवेचनानुसार दिनांक 18.06.2018 को समय लगभग 3.30 पी.एम. पर रेलवे स्टेशन जोधपुर के पास स्थित चन्द्र विलास लॉज में अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार के संयुक्त अधिपत्य व अनन्य कब्जे के काले बैग में से छः पैकेट्स में कुल 5.750 किलोग्राम अफीम बरामद होना, जिसे अपने कब्जे में रखने का अभियुक्तगण के पास कोई वैध अनुज्ञा–पत्र/परमिट नहीं होना, अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से पूर्णतः प्रमाणित है।

51– अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार, अविनाश कुमार के विरूद्ध आरोपित अपराध सभी युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

:: आदेश ::

52– अतः अभियुक्तगण **1. राजेश कुमार** पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद, उम्र 34 वर्ष, निवासी–ग्राम पोस्ट मुसेला, पुलिस थाना व तहसील मोहनपुर, जिला गया (बिहार), **2. योगेन्द्र कुमार** पुत्र श्री नरेश प्रसाद, उम्र 30 वर्ष, निवासी–ग्राम बुनियाद बीघा (नीमा टोला) पोस्ट सरवा बाजार, पुलिस थाना बाराचट्टी, तहसील डोबी, जिला गया (बिहार), **3. अविनाश कुमार** पुत्र श्री राजदेव प्रसाद, उम्र 28 वर्ष, निवासी–ग्राम बुनियाद बीघा (नीमा टोला) पोस्ट सरवा बाजार, पुलिस थाना बाराचट्टी, तहसील डोबी, जिला गया (बिहार) को **धारा 8/18 (ख) स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** के अपराध में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

(मधुसूदन मिश्रा)
विशिष्ट न्यायाधीश (स्वापक औषधि एवं
मनःप्रभावी पदार्थ प्रकरण) संख्या 1,
जोधपुर महानगर (राज.)

53– दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्षों को सुना गया।

54– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने बहस करते हुये कहा कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण वर्ष 2019 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं, जिन्हें अपने किये गये कृत्य पर पश्चाताप हो रहा है। अभियुक्तगण के वृद्ध माता–पिता हैं। अभियुक्तगण पर सम्पूर्ण परिवार के भरण–पोषण का दायित्व है। अभियुक्त राजेश अपाहिज व्यक्ति है। अतः

उनके प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये उन्हें भुगती हुई सजा पर छोड़ा जावे।

55— विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण के उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये कहा कि अभियुक्तगण के कब्जे से वाणिज्यिक मात्रा से दो गुना से अधिक मात्रा में अवैध अफीम बरामद हुई है। अभियुक्तगण का कृत्य गम्भीर प्रकृति का है। वर्तमान समय में अवैध मादक पदार्थों के क्रय—विक्रय, परिवहन, कब्जे में रखने के अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जिससे समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

56— हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया। इस परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार के अनन्य कब्जे से बैग में से 5.750 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है, जो कि वाणिज्यिक मात्रा से कई अधिक है। यदि उक्त मादक पदार्थ अफीम मौके पर बरामद नहीं की जाती, तो अभियुक्तगण या तो इस मादक पदार्थ को युवाओं को विक्रय कर देते या स्वयं सेवन करते। अभियुक्तगण का कृत्य गम्भीर प्रकृति का है। वर्तमान समय में अवैध मादक पदार्थों के क्रय—विक्रय, परिवहन, कब्जे में रखने के अपराधो में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। लिहाजा ऐसी स्थिति में यदि अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाया गया, तो दण्ड के भय के अभाव में अभियुक्तगण अपराध की पुनरावृत्ति करेंगे, जिससे समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

57— माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय **2010 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर एस.सी. पेज 46, जमील बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :—

"Proper and appropriate sentence to the accused is the bounded obligation and duty of the court., sentence should be according to the gravity of the offence. some factors which are required to be teken in to consideration before awarding sentence to the accused."

58— माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय **2014 क्रिमीनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) 1197, स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश बनाम सुरेन्द्र सिंह** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :—

The punishment should not be so lenient that is shocks the conscience of the society. It is solemn duty of the court to strike a proper balance while awarding the sentence as awarding lesser sentence encourages any criminal and, as a result of the same,the society suffers.

Undue sympathy be means of imposing inadequate sentence would do

more harm to the justice system to undermine the public confidence in the efficacy of law and the society cannot endure long under sections threats.

59— माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय **2012 ए.आई.आर. एस.सी. 3802, एलिस्टर एन्थोनी परेरा बनाम स्टेट ऑफ एम.पी.** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :—

One of the prime objectives of the criminal law is imposition of appropriate, adequate, just and proportionate sentence commensurate with the nature and gravity of crime and the manner in which the crime is done.

60— माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय **2004 ए.आई.आर. एस.सी. पेज 5064, आदुराम बनाम मुकना** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :—

Any liberal arritude by imposing meager sentences or taking to sympathetic view merely on account of lapseof time in respect of such offences will be result-wise counter productive in the long run and against societal interest.

61— लिहाजा प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अभियुक्तगण की आयु, आचरण एवं अभियुक्तगण के अनन्य कब्जे से वाणिज्यिक मात्रा के मादक पदार्थ अफीम की बरामदगी को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार व अविनाश कुमार को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है।

:: दण्डादेश ::

62— अभियुक्तगण **1. राजेश कुमार** पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद, उम्र 34 वर्ष, निवासी— ग्राम पोस्ट मुसेला, पुलिस थाना व तहसील मोहनपुर, जिला गया (बिहार), **2. योगेन्द्र कुमार** पुत्र श्री नरेश प्रसाद, उम्र 30 वर्ष, निवासी—ग्राम बुनियाद बीघा (नीमा टोला) पोस्ट सरवा बाजार, पुलिस थाना बाराचट्टी, तहसील डोबी, जिला गया (बिहार), **3. अविनाश कुमार** पुत्र श्री राजदेव प्रसाद, उम्र 28 वर्ष, निवासी—ग्राम बुनियाद बीघा (नीमा टोला) पोस्ट सरवा बाजार, पुलिस थाना बाराचट्टी, तहसील डोबी, जिला गया (बिहार), प्रत्येक को **धारा 8/18 (ख) स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** के अपराध के लिये **15 वर्ष (पन्द्रह वर्ष) का कठोर कारावास एवं 2,00,000/—रूपये अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है, **अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्तगण 01 वर्ष (एक वर्ष) का कठोर कारावास** अतिरिक्त रूप से भुगतेंगे।

63— अभियुक्तगण राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार, अविनाश कुमार के द्वारा पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गई अवधि को उक्त मूल सजा में समायोजित किया जावे।

(मधुसूदन मिश्रा)
विशिष्ट न्यायाधीश (स्वापक औषधि एवं
मनःप्रभावी पदार्थ प्रकरण) संख्या 1,
जोधपुर महानगर (राज.)

64— निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 21.01.2026 को खुले न्यायालय में बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन के सुनाया गया।

(मधुसूदन मिश्रा)
विशिष्ट न्यायाधीश (स्वापक औषधि एवं
मनःप्रभावी पदार्थ प्रकरण) संख्या 1,
जोधपुर महानगर (राज.)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुहास चकमा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (रिट याचिका संख्या 1082/2020) में जारी निर्देशों के अनुपालन में

न्यायालय का नाम	–	**विशिष्ट न्यायाधीश (स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ प्रकरण) संख्या 1, जोधपुर महानगर (राज.)**
प्रकरण का शीर्षक	–	**राजस्थान राज्य बनाम राजेश व अन्य**
प्रकरण संख्या	–	**01/2019**
आदेश दिनांक	–	**21.01.2026**
आदेश प्रकार	–	**दोषसिद्ध**

अभियुक्त/आवेदक को सूचित किया जाता है कि वह इस न्यायालय आदेश के विरूद्ध उपचार प्राप्त करने हेतु निःशुल्क विधिक सेवा निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त कर सकता है :–

राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर

तालुका विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (न्यायालय में स्थित) :

सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर

विधिक सेवा समिति का पता :

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, मुख्य परिसर, झालामण्ड, जोधपुर (राज.)

फोन नम्बर : **8306002140**